सत्र 2023-24 हेतु

Page :
Date : / /

प्रोन्नयन के नियम

01. कक्षा 6,7 एवं 8 के परीक्षार्थियों को 4 विषयों में (अधिकतम 40 अंक तक) तथा कक्षा -11 के परीक्षार्थियों को दो विषयों में (अधिकतम 20 अंक तक) कृपांक दिया जाएगा।

02. कक्षोन्नति के लिए प्रत्येक विषय में कृपांक के साथ सम्पूर्ण योग में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33% होगा।

03. कक्षा- 6,7,8,9 एवं 11 के ऐसे परीक्षार्थी जो दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित हुए हैं, परन्तु अस्वस्थता के कारण कुछ प्रश्न पत्रों में अनुपस्थित होने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, उन्हें कृपांक की सुविधा देय होगी। बशर्ते अन्य नियमों के अन्तर्गत आता हो।

04. अस्वस्थता के कारण यदि कोई परीक्षार्थी (किसी एक परीक्षा या विषयों में) अनुपस्थित रहता है, तो परीक्षार्थी द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उसे कक्षोन्नति की सुविधा दी जाएगी। बशर्ते अन्य नियमों के अन्तर्गत आता हो।

05. कक्षा- 6, 7, 8, 9 एवं 11 के ऐसे छात्र जो अर्द्धवार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण रहे हों, उनके लिए वार्षिक परीक्षा के प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने के साथ-2 सम्पूर्ण योग में 40% अंक प्राप्त होने की दशा में ही कक्षोन्नति दी जाएगी।

06. कक्षा -11 में प्रायोगिक विषयों के परीक्षाफल का निर्धारण लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षाओं के सम्मिलित योग के आधार पर होगा।

07. कक्षोन्नति के लिए नैतिक, खेल-कूद, शारीरिक शिक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होकर 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

08. समस्त कक्षाध्यापक द्वारा रिजल्ट-सीट के प्रथम पृष्ठ पर कक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों का नाम, अनुक्रमांक एवं प्राप्तांक का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

Page :
Date : / /

कक्षा - 9 हेतु परीक्षाफल ग्रेड तालिका

प्राप्तांक	%	ग्रेड
155 - 170	91 - 100	A_1
138 - 154	81 - 90	A_2
121 - 137	71 - 80	B_1
104 - 120	61 - 70	B_2
87 - 103	51 - 60	C_1
70 - 86	41 - 50	C_2
57 - 69	33 - 40	D
36 - 56	21 - 32	E_1
0 - 35	0 - 21	E_2

कक्षा - 9 हेतु अतिरिक्त निर्देश :-

01. कक्षोन्नति के लिए कम से कम पाँच विषयों में "D" ग्रेड पाना अनिवार्य है।

02. परीक्षार्थी को प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम "D" ग्रेड पाना अनिवार्य है।

03. परीक्षार्थी के अंक पत्र में विषयवार प्राप्तांक के साथ-साथ ग्रेड अंकित करना अनिवार्य है।

04. श्रेणी का उल्लेख नहीं करना है परन्तु सम्पूर्ण योग एवं परीक्षाफल के अन्तर्गत "PASS" शब्द लिखना अनिवार्य है।

05. दो विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों के अंक पत्र पर परीक्षाफल के अन्तर्गत "COMPARTMENT" लिखें।

06. परीक्षाफल के अप्रैल माह में किसी एक विषय में पूरक परीक्षा देने पर, परीक्षार्थी द्वारा "D" ग्रेड प्राप्त करने की दशा में उत्तीर्ण माना जाएगा।

07. तीन या अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने पर परीक्षार्थी के अंक पत्र में "FAIL & ELIGIBLE FOR CREDIT" शब्द अंकित करें।

[signature] 10/02/24

प्रधानाचार्य
को-आपरेटिव इण्टर कालेज
पिपराइच-गोरखपुर